12/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 02/13

तारीख रजू– 15/01/13

शम्भू दयाल पुत्र कल्लाराम जाति जाट निवासी कुरेडी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

---निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– शंकर लाल पुत्र कल्ला राम जाति जाट निवासी कुरेडी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ।

2– ग्राम पंचायत कुरेडी जरिये संरपच ।

-----अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 09/12/16

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत कुरेडी पंचायत समिति खण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 12/05/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा निगरानी गुजार ने निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/05/2012 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थी संख्या 2 वाद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी 1 मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत ग्राम पंचायत का निर्णय/आदेश दिनांक 12/05/2012 द्वारा जारी पट्टा विधि व तथ्यों के विपरीत होने पर निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अप्रार्थी नं0 1 को 177.77 वर्ग गज का पट्टा दिया है। उक्त प्लाट अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का न होकर प्रार्थी व अन्य दो भाईयों का सयुंक्त स्वामित्व का व कब्जे का प्लाट है। जिसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा उक्त पट्टा जारीन करने से पूर्व नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। बिना नोटिस जारी किये व बिना प्रार्थी को सुने मनमाने तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है। जिस पर संरपच के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः निगरानी गुजार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कुरेडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12/05/2012 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश न्यायोचित एवं सही है। अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार नोटिस जारी किए गये है एवं मौका भी देखा गया है। तत्पश्चात् ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी गुजार की निगरानी अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय यथावत रखने का श्रम करे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

13/A

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि अदालत मातहत द्वारा पट्टे देने से पूर्व आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिये थे एवं दिनांक 05/04/2012 को संरपच स्वयं ने साक्ष्यगण के समक्ष उक्त वाद आराजीयात का मौका भी देखा है। निगरानी गुजार द्वारा अपनी निगरानी में उक्त वाद आराजीयात निगरानी गुजार के प्रार्थी के पिता कल्लाराम का पैतृक प्लांट होना बताया है एवं कल्लाराम वर्तमान में जिवित होना बताया है। उक्त निगरानी मे निगरानी गुजार ने पैतृक प्लाट होने के कारण प्रार्थी व अन्य दो भाई जगराम , बलवीर का भी उक्त प्लांट पर कब्जा काश्त होना बताया है। जबकि प्रार्थी के पिता कल्लाराम व अन्य भाईयों को निगरानी गुजार ने उक्त निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है। जो एक अति आवश्यक व प्रभावी पक्षकार है।

इस प्रकार निगरानी त्रुटिपूर्ण होने के कारण एवं खातेदारी निरस्त की अनुतोष लधु सुनवाई के तहत दिया जाना मुमकिन नहीं होने के फलस्वरूप अपील निरस्त किया जाना विधि अनुरूप है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी निर्णय दिनांक 12/05/2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2016 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर